मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक / 1511 / 474 / डीएमसी / चार / 2015 भोपाल,दिनॉक 03/9/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषयः-केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में ।

संदर्भः-वित्त विभाग का परिपत्र क्र.695 / डीएमसी / ब-7 / चार दिनॉक 29.04.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र के माध्यम से केन्द्रीय योजनाओं की राशि उपयोग करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये थे । इसी निर्देश की निरन्तरता में लेख है कि केन्द्रीय बजट में अंकित बी श्रेणी की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अनुपात में परिवर्तन के कारण राज्य सरकार के बजट में दर्शित केन्द्रांश को भी राज्य के संसाधनों से व्यय करने की आवश्यकता पड़ सकती है । इस प्रकार भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु तात्कालिक रूप से निर्धारित अनुपात की सीमा में आवश्यकतानुसार वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनॉक 29.04.2015 का पालन करते हुए राज्य के बजट में दर्शित केन्द्रांश को भी परिवर्तित अनुपात की सीमा तक राज्यांश के रूप में व्यय किया जा सकता है ।

2/ भारत सरकार द्वारा सी एवं डी श्रेणी की केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं अब प्रचलन में नहीं हैं । इन योजनाओं के सन्दर्भ में जब तक राज्य शासन द्वारा नवीन योजनाओं के संचालन का निर्णय नहीं होता है तब तक पूर्व से प्रचलित योजनाओं में समस्त नवीन निर्माण कार्यों / नवीन कार्यों / परियोजनाओं / गतिविधियों को लिया जाना प्रतिबंधित किया जाय । इन योजनाओं में केवल वर्तमान में प्रचलित कार्य ही पूर्ण किये जा सकेगें । प्रगतिरत कार्यों हेतु पूर्व में स्वीकृत मदों में ही आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकेगा ।

2.........

3/ अनुपात परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी योजना के लिए बजट में अधिक प्रावधान रखा गया है तो इस राशि का अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । अत्यन्त आवश्यक होने पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही पुनर्विनियोजन किया जा सकता है ।

4/ परिवर्तित अनुपात के अनुरूप योजनाओं की कुल लागत में परिवर्तन हेतु सक्षम वित्तीय समिति आयोजित करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुपात परिवर्तन के फलस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय प्रभावों की समीक्षा के लिए पुनः सक्षम समिति से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

कृपया उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए ।

(अजय नाथ) 03.09.2015
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

पृ.क्रमांक/ 1512/474/डीएमसी/चार/2015 भोपाल,दिनॉक 03/9/2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश शासन ।
2. प्रमुख सचिव(समन्वय),मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन ।
3. प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश शासन ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासन ।

(वीरेन्द्र कुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग